

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 285/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-तहबरपुर: चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 07.08.2025 को वंशु चौरसिया पुत्र स्व० रामदेव ग्राम बसही बन्देदासपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 06.08.2025 को समय करीब 05.00 बजे अज्ञात चोरो द्वारा छत के रास्ते वादी के घर में घुसकर घर में रखा LCD टीवी INFIX कम्पनी का 32 इंच, मेकप किट, लाल रंग वाक्स, इण्डेक्शन चूल्हा MAGSON कम्पनी का रंग काला व गोल्डेन व लेडीज बैग महरून रंग का चुरा ले जाने के सम्बन्ध में दिये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 180/2025 धारा 305,331(4)भा०न्या०सं० बनाम 1. अज्ञात के बतफतीशी उ०नि० मानचन्द्र यादव के पंजीकृत किया गया था। चोरी गये माल की बरामदी व अज्ञात चोर की गिरफ्तारी हेतु लगातार पतारसी सुरागरसी की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 10.08.2025 को उ०नि० मानचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. सचिन कुमार पुत्र नगीना लाल ग्राम धनियाकुण्डी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 2. धन्जू गौड़ पुत्र जोखन गौड़ ग्राम तहबरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को चोरी के सामान (अभियुक्त सचीन से) एक अदद तमंचा .315 व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व नकद 630 रूपया (500 का एक नोट, 100 का एक नोट, 20 का एक नोट, 10 का एक नोट), एक अदद LCD (टीवी) INFIX कम्पनी का 32 इन्च बरामद किया गया। तथा अभियुक्त धन्जू गौड़ के पास से 520 रूपये (500 की एक नोट, व 10-10 की दो नोट), एक अदद मेकप किट लाल रंग का बाक्स, एक अदद इन्डेक्सन चूल्हा MAGSON कम्पनी का रंग काला व गोल्डेन तथा एक अदद लेडीज बैग महरून रंग का बरामद किया गया। दोनो अभियुक्तों को करियावर अण्डर पास के समय 10.30 बजे पर्याप्त पुलिस बल के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु०अ०सं० 182/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो मिलकर दिनांक 06.08.2025 को बसही बंदेदासपुर में छत के रास्ते घुसकर एलसीडी टीवी, इंडेक्शन चूल्हा, मेकअप किट लेडीज बैग चुरा ले गये थे जिसको आज बेचने के लिये ले जा रहे थे कि आप लोगो के द्वारा करियावर अंडरपास के नीचे पकड़ लिया गया तथा दिनांक 04.08.2025 की रात्रि में शेखपुर बाजार में दुकानो का ताला तोड़कर हम लोगो के द्वारा 3500 रूपया चोरी किया गया था जिसको हम लोग आधा आधा बाँट लिये थे उसमें से मेरे पास 630 रूपये बचा है तथा बाकी खर्च हो गया है, चोरी करते समय हम लोग अपनी सुरक्षा हेतु तमंचा भी रखते हैं कि पकड़े जाने पर फायर करके भाग सके।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सचिन कुमार पुत्र नगीना लाल ग्राम धनियाकुण्डी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. धन्जू गौड़ पुत्र जोखन गौड़ ग्राम तहबरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 178/2025 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 180/25 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 182/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

सचिन कुमार पुत्र नगीना लाल ग्राम धनियाकुण्डी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

1. 148/2018 धारा 352/354(ख) भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
- धन्जू गौड़ पुत्र जोखन गौड़ निवासी ग्राम तहबरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
1. मु०अ०सं० 196/24 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 217/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 146/24 धारा 379 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
4. मु०अ०सं० 226/24 धारा 305, 331(4) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
5. मु०अ०सं० 51/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

सचिन कुमार पुत्र नगीना लाल ग्राम धनियाकुण्डी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ से एक अदद तमंचा .315 व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व नकद 630 रूपया (500 का एक नोट, 100 का एक नोट, 20 का एक नोट, 10 का एक नोट), एक अदद LCD (टीवी) INFINIX कम्पनी का 32 इन्च बरामद व धन्जू गौड़ पुत्र जोखन गौड़ ग्राम तहबरपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ की जेब से 520 रूपये (500 की एक नोट, व 10-10 की दो नोट) , एक अदद मेकप किट लाल रंग का बाक्स, एक अदद इन्डेक्सन चूल्हा MAGSON कम्पनी का रंग काला व गोल्डेन तथा एक अदद लेडीज बैग महरून रंग का बरामद हुआ

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1 उ0नि0 श्री मानचन्द्र यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 श्री लोकेशमणि त्रिपाठी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अभिषेक सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. कां0 ताहिर अली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना- मेंहनगर: आत्महत्या के लिए दृष्टरेण करने के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 10.08.25 को प्रार्थी नितीश गौड़ पुत्र विक्रम गौड़ ग्रा0 देवरिया थाना मेंहनगर जनपद. आजमगढ़ की तहरीरी सूचना कि आये दिन मेरे पिता मेरी माता आशा देवी को प्रताड़ित करते रहते थे दिनांक 7-8-25 को मेरे पिता ने मेरी माता जी को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया और कहा की जाओ मर जाओ जिससे छुटकारा मिल जाय तो मेरी माता जी ने इस बात से आहत होकर फाँसी लगा कर आत्महत्या कर ली मुझे फोन के जरिये सूचना मिली तब मैं आकर दाह संस्कार किया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 395/25 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत कर प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 10.08.25 को उ0नि0 उमेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विक्रम पुत्र पोल्हावन सा0 देवरिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम देवरिया थाना मेंहनगर से समय 12.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- विक्रम पुत्र पोल्हावन सा0 देवरिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 395/25 धारा 108 बीएनएस थाना मेंहनगर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 उमेश सिंह मय हमराह हे0का0 भैयालाल यादव थाना मेंहनगर आजमगढ़।



03.थाना- सिधारी: चोरी के आभूषण व नकदी के साथ 01 शातिर चोर गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा आज दिनांक 10.08.2025 को अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ मलिक पुत्र निरंकार निवासीगण गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को नरौली चौराहे के आगे दक्षिण दिशा मे मार्ग पर बनी पुलिया के पाससे समय 11:42 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अंगूठी पीली धातू , 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातू, 01 अदद नथिया पीली धातू, 01 अदद पायल सफेद धातू, 01 अदद रोलड गोल्ड सिकड़ी (चैन)पीली धातू व 8200 रुपये नगद बरामद किया गया ।

पूर्व की घटना का विवरण-

01- दिनांक- 05.06.2025को वादिनी कुमकुम सिंह पत्नी अजय सिंह ग्राम बांसथान थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के प्राप्त होने आनलाईन एफआईआर मु0अ0सं0-282/25 धारा 303(2) बीएनएस बावत रास्ते में टैम्पू से जाते समय वादिनी मुकदमा के बैग/अटैची को किसी धार - धार हथियार से काटकर पर्स में रखे गहना (आभूषण) निकाल लिया, जिसमें एक हार, एक सोने की सिकड़ी, दो अंगूठी, एक मंगलसूत्र, तीन तलिया झुमका, एक रोल गोल की सिकड़ी चुरा लेने के सम्बन्ध में आनलाईन एफआईआर प्राप्त होने पर दाखिला मु0अ0सं0 282/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम चार व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया ।

02-

दिनांक 06.06.25 को वादी सोहन यादव एडवोकेट कमिश्नरी आजमगढ़ चैम्बर नं0-11 निवासी मुसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर बाबत टैम्पू चालक व 3-4 औरतो द्वारा वादी के बहू का लाकेट गले से काटकर चुरा लेना के संबंध में मु0अ0सं0 286/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम 03/04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

03- दिनांक 18.12.24 को वादी सुखराज प्रसाद पुत्र स्व0 विश्वनाथ राम ग्राम विमति हरिहर पुर रोड थाना कोतवाली आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर सोहन यादव एडवोकेट कमिश्नरी आजमगढ़ चैम्बर नं0-11 निवासी मुसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर बाबत आवेदक के मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर से घुसकर कमरों व आलमारी का ताला तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आलमारी से रखा जेवर सोना /चांदी व गोलक में रखा 7500 /- रुपया नगद चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 668/2024 धारा 331(3)/305 बीएनएस बनाम 03/04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 10.08.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा नरौली चौराहे के आगे दक्षिण दिशा मे मार्ग पर बनी पुलिया के पास से अभियुक्त बृजेश कुमार उर्फ मलिक पुत्र निरंकार निवासीगण गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र26 वर्ष को समय11:42 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अंगूठी पीली धातू , 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातू, 01 अदद नथिया पीली धातू, 01 अदद पायल सफेद धातू, 01 अदद रोलड गोल्ड सिकड़ी (चैन)पीली धातू व 8200 रुपये नगद बरामद किया गया ।

अनावरण अभियोग का विवरण:-

1-मु0अ0सं0-282/25 धारा 303(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 286/2025 धारा 305 बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़ से सम्बन्धित 01 अदद अंगूठी पीली धातू , 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातू, 01 अदद नथिया पीली धातू, 01 अदद पायल सफेद धातू, 01 अदद रोलड गोल्ड सिकड़ी (चैन)पीली धातू व 8200 रुपये नगद ।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद अंगूठी पीली धातू , 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातू, 01 अदद नथिया पीली धातू, 01 अदद पायल सफेद धातू, 01 अदद रोलड गोल्ड सिकड़ी (चैन)पीली धातू व 8200 रुपये नगद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1-बृजेश कुमार उर्फ मलिक पुत्र निरंकार निवासीगण गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0- 256/2025 धारा112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना सिधारी आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0- 257/2025 धारा112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना सिधारी आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0- 171/2014 धारा 147/323/363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 05/2023 धारा 379/411 IPC थाना जीआरपी जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0-668/24 धारा 331(3)/305/317(2)/317(4)/317(5)/112(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
6. मु0अ0सं0-282/25 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/112(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 286/2025 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5)/112(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ़ ।

वांछित अभियुक्त -

1. अंशुल प्रताप गौतम उर्फ लकी पुत्र अमरनाथ
2. जवाहिर उर्फ शैडो पुत्र मोतीलाल
3. चिंटू उर्फ नदीम शाह पुत्र टिल्लू निवासीगण गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. 30नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ
2. का0 सतीश गौड़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ
3. का0 चन्द्रेश कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ
4. का0 अतुल कुमार राजभरथाना सिधारी जनपद आजमगढ
5. का0 इन्दल थाना सिधारी जनपद आजमगढ
6. का0 अनुराग तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ



नई किरण एक पहल के तहत आजमगढ़ पुलिस ने 02 बिछड़े परिवारों का पुनर्मिलन कराया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक-10.08.2025 को परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें 08 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस द्वारा सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया था। मिडिएशन में 06 पत्रावलियों में पक्षों की उपस्थिति हुई, जिसमें से 01 पत्रावली में अथक प्रयास के बाद दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर पति-पत्नी का पुनर्मिलन/समझौता कराया गया तथा 01 पत्रावली में दो पक्षों के बीच विवाद को सुलह समझौता कराया गया। नई किरण प्रोजेक्ट से जनपद में बिखरे हुए परिवारों में एक नई रोशनी आयेगी तथा इससे माननीय पारिवारिक न्यायालय में कार्यबोझ कम होगा। नई किरण प्रोजेक्ट, बिखरे हुए परिवारों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास है। 01 पत्रावली अन्य कारण से बन्द की गयी है, शेष पत्रावलियों में पक्षों को अग्रिम तिथि के लिए नोटिस/फोन द्वारा सूचित कर मेडिएशन किया जायेगा।

इस पुनीत कार्य में, काउन्सलर-डॉ० उमेशचन्द्र पाण्डेय, उ०नि० गुरु ज्ञान चन्द्र पटेल प्रभारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०नि० श्यामधर उपाध्याय प्रभारी आर्थिक सहायता प्रकोष्ठ, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता, महिला आरक्षी नेहा सिंह, महिला आरक्षी शिखा तिवारी व पुलिस लाइन से मुख्य आरक्षी संजय यादव, महिला आरक्षी श्वेता पाण्डेय, महिला आरक्षी ज्योति तिवारी उपस्थित रहे।

कुल समझौते –02

1. अनिता सिंह पत्नी सतीश सिंह पुत्री अवधनाथ सिंह सा० गम्भीरबन कुर्यानी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. सोनी पुत्री मनीराम कन्नौजिया सा० करमहॉ डिगुरपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

